

24-12-8

अपीलान्ट के रजिस्टर के अफिस
उपस्थित (उपस्थित अफिस कक्षा)
की वरत सुनी गयी। बाद
शुनवाई पत्रावली कास्ट आदेश
ES दिनांक 1-1-19 को पत्रावली
का

डिवीजनल कमिश्नर

जोधपुर

डिवीजनल कमिश्नर

जोधपुर

1.1.19

पत्रावली पेश हुई निर्णय सरे इजलास सुनाया गया तथा पृथक से लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर पत्रावली के संलग्न किया गया। निर्णयानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाता है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि मे से त्रुटिवश बिलानाम दर्ज भूमि को पुनः अपीलान्ट के खातेदारी मे अंकित करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली निर्णय की सत्य प्रति के साथ पुनः लौटायी जावे।



(ललित कुमार गुप्ता)
डिवीजनल कमिश्नर,
जोधपुर

मान्यवरजी,

